

## अध्याय I : भूमिका

### 1.1 प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय और इसके निम्नलिखित संगठनों में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा में उठे मामलों से संबंधित है:-

- थलसेना;
- अन्तर्सैवा संगठन;
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और प्राथमिक रूप से थलसेना और आयुध फैक्ट्रियों को समर्पित उसकी प्रयोगशालाएं;
- रक्षा लेखा विभाग;
- आयुध फैक्ट्रियां और
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के विषय का स्तर लेन-देन की मात्रा और विस्तार के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा की जाँच के परिणाम से अपेक्षा है कि कार्यकारिणी उपचारात्मक कार्यवाही से ऐसी नीति और निर्देश बनाए जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन को सुधारा जा सके, इस प्रकार अच्छे प्रबंधन और उन्नत सामरिक तैयारी करने में सहायता मिलेगी।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार की व्याख्या के अतिरिक्त विशिष्ट लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश है इसके पश्चात उपरोक्त संगठनों के व्ययों पर संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है। तदोपरान्त अध्यायों में मंत्रालय और उपरोक्त संगठनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन समीक्षाओं से निकली विस्तृत उपलब्धियां और आपत्तियां प्रस्तुत हैं।

### 1.2 लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा

रक्षा मंत्रालय शीर्ष स्तर पर रक्षा संबंधी सभी मामलों पर नीति निर्देश बनाता है। यह चार विभागों में विभाजित है, जैसे रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। प्रत्येक विभाग का मुखिया एक सचिव होता है। रक्षा सचिव जो कि रक्षा विभाग का मुखिया होता है, अन्य विभागों के कार्यकलापों के साथ भी समन्वय करता है।

थलसेना का प्राथमिक उत्तरदायित्व बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा करना है। यह प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक अशान्ति के समय भी सिविल प्राधिकारियों की मदद करती है। इसलिए थलसेना के लिए आवश्यक है कि वह उचित तरीके से सुसज्जित, आधुनिक हो और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करे।

डीआरडीओ की प्राथमिकता अपनी प्रयोगशालाओं की श्रृंखला के माध्यम से भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हेतु अनुसंधान एवं विकास करना है। यह वैमानिकी, शस्त्र, युद्धक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक, उपकरणों, अभियांत्रिकी प्रणाली, मिसाइलों, सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कम्प्यूटिंग, अनुरूपण और जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करता है।

अन्तर्सेवा संगठन जैसे सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं, सैन्य इंजीनियरी सेवाएं (एम.ई.एस.), रक्षा संपदा, गुणवत्ता आश्वासन इत्यादि रक्षा बलों के तीन संभागों थलसेना, नौसेना और वायुसेना के सेवार्थ है। ये सामान्य संसाधनों के विकास एवं रखरखाव के लिए इष्टतम लागत-प्रभावी सेवाएं देने के लिए उत्तरदायी हैं। ये सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसका प्रमुख महानिदेशक, आयुध निर्माणियाँ होता है। उनतालिस आयुध फैक्ट्रियाँ सैन्य बलों के लिए आयुध भंडार के उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं।

सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र उपक्रम (डी पी एस यू) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत कुल नौ डी पी एस यू हैं जिनके मुखिया चैयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं।

### 1.3 एकीकृत वित्तीय सलाह एवं नियंत्रण

रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं की एक पूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। रक्षा मंत्रालय में पूर्ण एकीकृत वित्त विभाग के साथ सचिव (रक्षा वित्त) और उनके अधिकारीगण लोक निधि से हुए व्यय से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करते हैं। सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं को सभी स्तरों पर वित्तीय सलाह प्रदान करने और रक्षा व्यय के राजकोषीय नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है।

रक्षा सेवाओं के मुख्य लेखांकन अधिकारी होने के नाते सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा व्यय की आंतरिक लेखापरीक्षा व लेखांकन हेतु भी उत्तरदायी है। यह दायित्व रक्षा लेखा विभाग, जिसका मुखिया महानियंत्रक रक्षा लेखा होता है, के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

### 1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

हमारे लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 से लिया गया है। हम सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम के सेक्शन 13<sup>1</sup> के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। प्रमुख छावनी बोर्ड इस अधिनियम के सेक्शन 14<sup>2</sup> के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए जाते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के नियम और प्रणालियाँ “लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम, 2007” में निहित हैं।

### 1.5 लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरे संगठन के जोखिम के मूल्यांकन और प्रत्येक यूनिट पर किए गए व्यय, कार्यकलाप की समीक्षा और जटिलता, दी गई वित्तीय शक्तियों का स्तर, संपूर्ण आंतरिक नियंत्रण और स्टेकहोल्डर के बारे में मूल्यांकन से प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा पर निर्णय लिया जाता है। लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बनाई जाती है।

<sup>1</sup> (i) भारत की समेकित निधि से हुए सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखों से संबंधित लेन-देन (iii) सभी व्यापार, उत्पादन, लाभ एवं हानि लेखों और तुलन-पत्रों एवं अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा।

<sup>2</sup> भारत की समेकित निधि या किसी भी राज्य या किसी भी संघ शासित प्रदेश द्वारा निकायों या प्राधिकारियों जो बड़ी मात्रा में अनुदान या ऋण के द्वारा वित्त प्राप्त करते हैं, के प्राप्ति एवं व्ययों की लेखापरीक्षा

प्रत्येक यूनिट की लेखापरीक्षा समाप्त होने के पश्चात उसके परिणाम स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एल.टी.ए.आर.) के माध्यम से यूनिट प्रमुख को जारी किए जाते हैं। यूनिटों से लेखापरीक्षा जांच परिणाम का उत्तर एल.टी.ए.आर. प्राप्त होने के एक माह के भीतर देने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा टिप्पणियां या तो निपटा दी जाती हैं अथवा अनुपालन हेतु आगे कार्यवाही की सलाह प्रदान कर दी जाती है। इन एल.टी.ए.आर. में से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। 2012-13 के दौरान 18,785<sup>3</sup> लेखापरीक्षा-दिवस लगाकर 614<sup>4</sup> यूनिटों/फार्मेशनों की लेखापरीक्षा की गई थी। हमारी लेखापरीक्षा योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण यूनिटों/फार्मेशनों, जिनमें जोखिम की संभावना ज्यादा हो, को उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों द्वारा कवर किया गया है।

## 1.6 महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

जहाँ तक रक्षा क्षेत्र की लेखापरीक्षा का संबंध है, रक्षा मंत्रालय तथा सेवा संगठनों द्वारा की जाने वाली पूंजीगत और राजस्व अधिप्राप्तियाँ महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। लेखापरीक्षा अपने पुराने प्रतिवेदनों में अधिप्राप्ति प्रक्रिया की कमियों को इंगित करता रहा है एवं रक्षा मंत्रालय ने निहित प्रक्रिया में सुधार के लिए कई प्रकार के उपाय किये हैं। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.) एवं रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डी.पी.एम.) का आवधिक पुनरीक्षण बेहतर कार्यप्रणाली को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम है।

वर्तमान प्रतिवेदन में उन मामलों को उजागर किया गया है जोकि परिचालन संबंधी तैयारी में उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण माने गए हैं। रक्षा भूमि का गलत प्रबंधन, सर्विदा का खराब प्रबंधन, सर्विदाकारों को अस्वीकार्य भुगतान करना, निम्न स्तर के भंडारों की अधिप्राप्ति, अधिक भुगतान आदि से संबंधित मामलों को भी यह प्रतिवेदन उजागर करता है, जिनका तुरंत समाधान करने की आवश्यकता है।

- बी ई एम एल ने रक्षा मंत्रालय के दृष्टांत पर टाट्रा वाहनों के स्वदेशीकरण के लिए मूल उपस्कर निर्माता (ओ ई एम) के साथ 28 वर्ष पहले 1986 में एक सहयोग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। बी ई एम एल द्वारा 1991 तक 86 प्रतिशत स्वदेशीकरण करने का लक्ष्य परिकल्पित किया गया था। हालांकि, 2014 तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। बी ई एम एल ने 1986 और 1991 के बीच पर्याप्त संख्या में वाहनों के आदेश देने में मंत्रालय की विफलता को इस विलंब का मुख्य कारण बताया। थलसेना द्वारा बी ई एम एल को दीर्घ अवधि के लिए दिये जाने वाले आदेशों के स्पष्ट अभाव के कारण टाट्रा वाहनों के स्वदेशीकरण प्रक्रिया का नुकसान हुआ। जिसके परिणामस्वरूप टाट्रा वाहनों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता का लक्ष्य विफल हो गया। ( पैराग्राफ 2.1 )
- रक्षा मन्त्रालय ने रसायनिक एजेंटों एवं विषाक्त औद्योगिक कम्पाउंडों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु जनवरी 2010 और अक्टूबर 2010 के बीच ₹ 27.32 करोड़ लागत के व्यक्तिगत रसायनिक एजेंट डिटेक्टरों की 999 संख्या को आयात किया। डी पी पी द्वारा निर्धारित भारतीय परिस्थितियों में फील्ड मूल्यांकन परीक्षणों/सिम्युलेटेड परीक्षणों के न करने के परिणामस्वरूप ₹ 27.32 करोड़ के त्रुटिपूर्ण आई सी ए डीयों की स्वीकृति हुई। अगस्त 2011 से इन उपकरणों का प्रतिस्थापन फर्म से जून 2014 तक प्रतीक्षित था। ( पैराग्राफ 2.2 )

<sup>3</sup> कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, नई दिल्ली और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान उपयोग किए गए पार्टी-दिवसों की संख्या

<sup>4</sup> कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा नई दिल्ली और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा की गई यूनिटों/फार्मेशनों की संख्या

- रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु उपकरणों से संबंधित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के तहत आनेवाली मदों की अधिप्राप्ति के लिए विवेकहीन नियोजन के परिणामस्वरूप एन बी सी सूट परमिएबल, जो आई पी ई का मुख्य घटक है, की अधिप्राप्ति नहीं हुई। एन बी सी सूट परमिएबल के बिना आई पी ई की अन्य आठ मदों पर ₹ 88.39 करोड़ का व्यय किया गया, जिसने एन बी सी युद्ध की स्थिति में सुनिश्चित सुरक्षा के उद्देश्य को विफल कर दिया। ( पैराग्राफ 3.1 )
- सेना मुख्यालय ने फरवरी 2008 में ₹ 2.97 करोड़ की लागत से 3717 टायर्स की आपूर्ति के लिए आपूर्ति आदेश दिया। फर्म को सामान की आपूर्ति अगस्त 2008 तक करनी थी। फर्म ने विनिर्माण दोष के साथ घटिया किस्म की सामग्री के टायरों की आपूर्ति की। डिफेक्ट रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना लम्बित होने के बाद भी सेना मुख्यालय के क्रय अधिकारी टायरों की अधिप्राप्ति को निलंबित नहीं किए। फर्म द्वारा दोषपूर्ण टायरों की निरंतर आपूर्ति के कारण ₹ 2.65 करोड़ का भुगतान किया गया। ( पैराग्राफ 3.4)
- जे सी ओ के लिए विवाहित आवास की आवश्यकता का सही ढंग से आकलन करने में चेन्नई स्थानीय सैन्य अधिकारियों की विफलता के कारण ₹ 1.79 करोड़ की लागत पर 17 आवासीय इकाइयों का आवश्यकता से अधिक निर्माण हुआ और बाद में फील्ड क्षेत्रीय परिवार आवास के रूप में उनका पुनः विनियोग हुआ। एक अन्य मामले में, स्टेशन कमांडर पुणे ने भारत सरकार के अनुमोदन के बिना ₹ 47 लाख की लागत पर बनाए गए चार लेफ्टिनेंट आवासीय इकाइयों को ब्रिगेडियर और ऊपर के अधिकारियों के लिए 'अतिथि कक्षों' के रूप में विनियोजन कर दिया। ( पैराग्राफ 4.1)
- महानिदेशक सीमा सड़क ने दो भंडारण आवास के निर्माण के लिए ₹ 0.90 करोड़ मूल्य के दो कार्य संस्वीकृत किए। ये फण्ड वास्तव में 1556 वर्गमीटर के क्षेत्रफल का एक बहुउद्देशीय हॉल बनाने के लिए उपयोग किया गया जिसके कारण भंडारण आवास बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो गया। ( पैराग्राफ 5.1)
- रक्षा रूची के क्षेत्रों में स्वदेश में उपलब्ध अनुसंधान प्रतिभा को उपयोग में लाने हेतु, डी आर डी ओ द्वारा 1969 में आरम्भ की गई अनुदान सहायता योजना का निष्पादन संतुष्टि से परे था। योजना के प्रबंधन तथा मॉनिटरिंग में अनुचित बजट निरूपण प्रक्रिया, फलीभूत होने योग्य एवं विशिष्ट अनुसंधान उद्देश्य निर्धारित किए बिना तथा प्राप्त किये जाने वाले परिमाणानुसंगत तथा गुणवत्तात्मक लक्ष्य को निर्धारित किए बिना परियोजना प्रदान करना, संबंधित पारियों से समुचित प्रतिक्रिया के लिए योजना का प्रचार एवं ऐसा कोई प्रमाण न होना जो कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा सर्वोत्तम सम्भावित प्रस्तावों के चयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह दर्शाता है कि आनलाइन एप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त सभी प्रस्ताव पर विधिवत विचार तथा उनका उचित रूप मूल्यांकन किया गया था, जैसी असाधारण कर्मिया थी। ( पैराग्राफ 7)
- 2002-2009 के दौरान, मंत्रालय के 124 एम.बी.टी. अर्जुन के प्रवर्तन की योजना के अनुरूप आयुध फैक्ट्रियों ने 2004-2013 के दौरान, थलसेना को 119 एम.बी.टी. अर्जुन की आपूर्ति की। रूस के साथ तकनीकी हस्तांतरण (2001) के आधार पर, 2006-2010 के दौरान 300 स्वेदशी टी-90 टैंकों के प्रदाय की योजना समय से पूरी न हो सकी तथा मात्र 225 टी-90 टैंकों का उत्पादन हुआ और 2009-2013 की अवधि में केवल 167 टी-90 टैंकों को थल सेना को निर्गमित किया जा सका। दोनों टैंकों के उत्पादन में अत्यधिक विलंब के कारण, ₹ 4913 करोड़ मूल्य के टी-90 टैंकों का नवीन आयात (नवंबर 2007) करना पड़ा। यद्यपि सितंबर 2011 में स्वीकृत, टी-90 टैंकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की परियोजना अत्यंत धीमी

थी, थलसेना से एम.बी.टी. अर्जुन के अग्रिम आदेशों के अभाव में एम.बी.टी. अर्जुन के लिए विद्यमान सुविधाएँ अल्प प्रयुक्त रहीं। ( पैराग्राफ 8.3)

### 1.7 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संस्थापन में निरन्तर अनियमितता

2011-12 की रिपोर्ट संख्या 24 तथा 2012-13 की रिपोर्ट संख्या 16 में स्टाफ परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अनुसार परियोजना डेलिवरेबल्सो का वास्तविक रूप में न आने वाले मामलों को हाईलाइट किया गया है। तथापि, कोई विशिष्टतापूर्ण सुधार नहीं देखा गया जैसा कि अध्याय VI में रिपोर्ट दिया गया। इस संबंध में सुधारत्मक कदम तत्काल लेने की जरूरत है।

### 1.8 लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सभी मंत्रालयों को जून 1960 में लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों जो कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में रखने के लिए नामांकित किये गये हैं, पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजने के निर्देश दिये थे।

ड्राफ्ट पैराग्राफ, संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों का ध्यान लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर खींचते हुए एवं अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजने की प्रार्थना के साथ अग्रेषित कर दिया जाता है। इसे उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है क्योंकि इन पैराग्राफों को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो कि संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं, में शामिल किये जाने की संभावना होती है, अतः इस पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वांछनीय होगा।

ड्राफ्ट पैराग्राफ जोकि इस प्रतिवेदन में रखने के लिए प्रस्तावित किये गये थे, अप्रैल 2014 तथा अक्टूबर 2014 के बीच संबंधित सचिवों को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित पत्रों द्वारा अग्रेषित किए गए थे।

रक्षा मंत्रालय ने अध्याय II से VII तक के 19 पैरा में से 17 पैरा अध्याय VIII में समाविष्ट 15 पैराग्राफों में से 13 तथा अध्याय IX में शामिल 05 पैराग्राफों में से 02 पैरों के उत्तर नहीं भेजे (अक्टूबर 2014)। तथापि, थलसेना मुख्यालय, आयुध फैक्ट्री बोर्ड तथा डीपीएसयू प्रबंधन की प्रतिक्रिया, जब कभी भी प्राप्त हुई, उन्हें उपयुक्त प्रकार से रिपोर्ट में शामिल कर दिया गया है।

### 1.9 पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किये गये सभी मामलों पर कार्यकारी अधिकारी की जवाबदेहिता लागू करने के लिए लोक लेखा समिति की इच्छा थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत प्रकार से जाँच करने के बाद संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाए।

सितम्बर 2014 तक थलसेना से संबंधित की गई कार्यवाही टिप्पणी की समीक्षा इंगित करती है कि मार्च 2012 को समाप्त वर्ष तक के 71 पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही टिप्पणी बकाया थी जिनमें से 11 पैराग्राफों के संबंध में मंत्रालय ने अभी तक प्रारम्भिक कार्यवाही टिप्पणी भी प्रस्तुत नहीं की थी एवं 18 (क्र.स.1से 18) में की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है जैसाकि परिशिष्ट -I में दिखाया गया है।

## 1.10 वित्तीय पहलू तथा बजटीय प्रबंधन

### 1.10.1 भूमिका

रक्षा मंत्रालय के बजटीय आबंटन की आठ अनुदान मांगों के अधीन समविष्ट है, जिसमें छः अनुदान रक्षा सेवाओं के अनुमानों (डी एस ई) के अधीन और दो सिविल अनुदानों के अधीन सम्मिलित है।

- दो सिविल अनुदान जिसमें मांग संख्या 20, रक्षा सेवाएं (सिविल) एवं मांग संख्या 21-रक्षा पेंशन सम्मिलित हैं।
- रक्षा मंत्रालय के छः अनुदान निम्नवत् है:  
मांग संख्या 22 रक्षा सेवाएं-थलसेना  
मांग संख्या 23 रक्षा सेवाएं-नौ सेना  
मांग संख्या 24 रक्षा सेवाएं- वायु सेना  
मांग संख्या 25 रक्षा आयुध निर्माणियां  
मांग संख्या 26 रक्षा सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी )  
मांग संख्या 27 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय - इसमें रक्षा मंत्रालय (सिविल)के अनुदान हेतु मांगों के अंतर्गत आनेवाली को छोड़कर सभी सेवाएं और विभाग समाविष्ट हैं।
- सीमा सड़क संगठन के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त अनुदानों को मोटे तौर पर राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- ❖ **राजस्व व्यय:** इसमें वेतन एवं भत्ते,परिवहन, राजस्व भंडार (जैसे आयुध भंडार, आयुध निर्माणियों से आपूर्तियां, राशन, पेट्रोल, तेल व स्नेहक,पूर्ज आदि ),राजस्व निर्माण कार्य (जिसमें भवनों का रखरखाव, जल और विद्युत प्रभार, किराये,दर एवं कर आदि ) पर किया गया व्यय तथा विविध व्यय शामिल है।
- ❖ **पूंजीगत व्यय:** इसमें भूमि, नए हथियार और गोलाबारूद का अधिग्रहण, सेवाओं का आधुनिकरण, निर्माण कार्य, संयंत्र एवं मशीनरी, उपस्कर, टैंक, नौसैनिक पोत, वायुयान और एरो इंजन, गोदीबाडे, आदि पर किए गए व्यय आने हैं।

अनुदान के लिए विभिन्न मांगों के अंतर्गत सकल व्यय प्रावधान हेतु संसद<sup>5</sup> की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। छः मांगों, अर्थात् मांग संख्या 22 से 27 तक के लिए रक्षा सेवाओं पर किए गए शुद्ध व्यय तक पहुँचने हेतु सकल व्यय से प्राप्तियों एवं वसूलियों जिसमें अधिशेष/ अप्रचलित भंडारों का विक्रय लाभ, राज्य सरकारों/ अन्य मंत्रालयों आदि को प्रदत्त सेवाओं के कारण प्राप्तियां जैसी मदें सम्मिलित है, तथा अन्य फुटकर मदों को घटाया जाता है। अनुदान संख्या 23 - रक्षा सेवाएँ नौसेना तथा अनुदान संख्या-24- रक्षा सेवाएँ वायुसेना के अलावा जिन्हें अलग रिपोर्ट में प्रकट किया गया है, का सारांश विश्लेषण नीचे दिया गया है।

### 1.10.2 अनुदान संख्या 20 रक्षा मंत्रालय का सिविल व्यय

मांग संख्या 20 के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के लिए बजटीय प्रावधान तथा राजस्व और पूंजीगत व्यय समेत वास्तविक व्यय नीचे तालिका -1 में दर्शाया गया है:

<sup>5</sup> रक्षा पर स्थायी समिति की रिपोर्ट संख्या 20 (2012-13 पंद्रहवीं लोक सभा)

तालिका -1 बजटीय आबंटन और वास्तविक व्यय: रक्षा मंत्रालय (सिविल)

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
16,598.24	15,800.00	15,609.71

वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 14,012.06 करोड़ के सकल राजस्व व्यय के प्रमुख घटक कैन्टीन भंडार विभाग (सी एस डी)(₹10,765.51 करोड़), रक्षा लेखा विभाग (₹1,030.60 करोड़), तटरक्षक संगठन (सी जी ओ) (₹ 944.73 करोड़), रक्षा संपदा संगठन (डी ई ओ) (₹ 244.10 करोड़), जम्मू और कश्मीर लाइट इंफन्ट्री (जे एंड के एल आई)(₹ 853.24 करोड़), आदि है। संशोधित अनुमान 2012-13 में ₹ 1,597.65 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय में मुख्य आबंटन अन्य वित्तीय सेवाओं सीमाशुल्क विभाग (₹ 1,564.71 करोड़), गृह एवं कार्यालय भवन (₹ 35.74 करोड़), तथा सी एस डी द्वारा संचालित यूनिट कैन्टीनों (यू आर सी) के लिए विविध ऋण (₹ 0.75 करोड़), के लिए पूंजीगत परिव्यय हैं।

1.10.3 अनुदान संख्या 21- रक्षा पेंशन

रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत रक्षा पेंशन विभाग तीनों सेवाओं अर्थात् थलसेना, नौसेना एवं वायुसेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैनिक कर्मचारी सहित) तथा आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों आदि के संबंध में पेंशन प्रभारों का प्रावधान करता है। वह सेवा पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन का परिणत मूल्य, छुट्टी का नकदीकरण आदि का भुगतान करता है।

इस अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के लिए बजटीय आबंटन और व्यय की स्थिति निम्नवत है:

तालिका-2 बजटीय आवंटन एवं वास्तविक व्यय रक्षा पेंशन

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
39,000.00	39,500.00	43,367.71

1.11 अनुदान संख्या 22 से 27 तक - रक्षा सेवाओं के अनुमान

1.11.1 सरसरी दृष्टि से


2008 -09 से 2012-13 की अवधि के लिए कुल रक्षा बजट, आवंटन और वास्तविक व्यय (दत्तमत और भारत) तालिका-3 एवं चार्ट -1 में निम्नवत दर्शाया गया है:

तालिका-3 कुल रक्षा बजट आवंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
2008-09	1,25,414.04	1,18,006.03
2009-10	1,48,499.26	1,45,781.04
2010-11	1,56,126.83	1,58,723.20
2011-12	1,78,891.06	1,75,897.94
2012-13	1,98,525.90	1,87,469.00

चार्ट -1 बजट प्रावधान बनाम वास्तविक व्यय




- वास्तविक रक्षा संबंधी आंकड़ा 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान 58.86 प्रतिशत की कुल वृद्धि दर्शाता है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 में वृद्धि 6.58 प्रतिशत है।

#### 1.11.2 रक्षा सेवाओं में राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय

2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए पूंजीगत और राजस्व व्यय (दत्तमत) नीचे चार्ट-2 में दर्शाया गया है

चार्ट -2 राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय





उपर्युक्त आंकड़ा दर्शाता है कि कुल रक्षा व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का अनुपात 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान 35 से 39 प्रतिशत के बीच रहा है। तथापि, 2012-13 में पिछले वर्ष से एक प्रतिशत में घटत हुई।

**1.12 थलसेना, आयुध निर्माणियां और अनुसंधान एवं विकास (पूंजीगत एवं राजस्व ) से संबंधित व्यय (दत्तमत ) का ब्यौरा - अनुदान संख्या 22,25,26,और 27<sup>6</sup>**

2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी से संबंधित राजस्व और पूंजीगत व्यय को दर्शानेवाला व्यय (दत्तमत ) का विस्तृत विश्लेषण नीचे तालिका -4 में दर्शाया गया है:

**तालिका -4 थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी का व्यय (दत्तमत )**

( ₹ करोड़ में )

अनुदान का विवरण	व्यय का घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
थलसेना	वास्तविक	59,663.53	77,512.29	80,789.82	86,776.05	94,274.06
	राजस्व	49,052.51 (82.22%)	62,716.64 (80.91%)	65,001.96 (80.46%)	71,832.66 (82.78%)	79,516.95 (84.35 %)
	पूंजीगत	10,611.02 (17.78%)	14,795.65 (19.09%)	15,787.86 (19.54%)	14,943.39 (17.22%)	14,757.11 (15.65 %)
आयुध निर्माणी	वास्तविक	3,309.13	3,520.27	1,527.00	1,704.15	2,116.26
	राजस्व	2,957.00 (89.36%)	3,279.98 (93.17%)	1,073.42 (70.30%)	1,427.94 (83.79%)	1,754.03 (82.88%)
	पूंजीगत	352.13 (10.64%)	240.29 (6.83%)	453.58 (29.70%)	276.21 (16.21%)	349.07 (16.60%)
आर एंड डी	वास्तविक	7,730.66	8,507.87	1,0191.99	9,932.29	9,860.56
	राजस्व	3,873.55 (50.11%)	4,355.57 (51.20%)	5,230.88 (51.32%)	5,321.24 (53.58%)	5,218.32 (52.92%)
	पूंजीगत	3,857.11 (49.89%)	4,152.30 (48.81%)	4,961.11 (48.68%)	4,611.05 (46.43%)	4,642.24 (47.08%)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिया हुआ अंक राजस्व/पूंजीगत व्यय को वास्तविक व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।


- 2012-13 के दौरान थलसेना के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 8.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 1.25 प्रतिशत की कमी और राजस्व व्यय में 10.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2012-13 से दौरान आयुध निर्माणियों के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 24.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 31.14 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व व्यय में 22.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2012-13 के दौरान आर एंड डी के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 0.72 प्रतिशत की कमी हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 0.68 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व व्यय में 1.93 प्रतिशत की कमी हुई।

<sup>6</sup> अनुदान संख्या 23-नौसेना एवं अनुदान संख्या-24-वायुसेना-का विश्लेषण संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)वायु सेना एवं नौसेना के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित होता है।

### 1.12.1 थलसेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल व्यय का विश्लेषण -पूँजीगत और राजस्व

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में थल सेना आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल व्यय दोनों पूँजीगत और राजस्व का प्रवृत्ति नीचे चार्ट -3 में दर्शायी गई है:

चार्ट-3 थलसेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल पूँजीगत और राजस्व व्यय का विश्लेषण



- **थलसेना:** वर्ष 2012-13 में वर्ष 2008-09 की तुलना में थलसेना के कुल व्यय के राजस्व घटक में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि 2008-09 में 82 प्रतिशत थी वह 2012-13 में 84 प्रतिशत हो गई, जबकि पूँजीगत घटक में उसी अवधि के दौरान 18 प्रतिशत (2008-09) से 16 प्रतिशत (2012-13) में तदनुरूप कमी हुई है।
- **आयुध निर्माणियाँ :** वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान आयुध निर्माणियों के कुल वास्तविक व्यय के राजस्व घटक में 2008-09 में 89 प्रतिशत से 2012-13 में 83 प्रतिशत हुई जिससे 6 प्रतिशत की कमी आई जबकि पूँजीगत घटक में 11 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक अनुरूप प्रतिशतता में वृद्धि हुई।
- **अनुसंधान एवं विकास:** आर एण्ड डी के राजस्व व्यय में 2008-09 से 2012-13 के दौरान 2008-09 में 50 प्रतिशत से 2012-13 में 53 प्रतिशत तक 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पूँजीगत व्यय में 50 प्रतिशत से 47 प्रतिशत की समरूपी प्रतिशतता के रूप में कमी आई।

### 1.13 राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विश्लेषण (दत्तमत)

#### 1.13.1 थलसेना (दत्तमत)


2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय थलसेना के छः लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत किया गया था, यथा नीचे तालिका -5 और चार्ट- 4 में दर्शाया गया है:

तालिका -5 थलसेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-101 एवं 103)	भंडार (लघु शीर्ष-110)	निर्माण कार्य (लघु शीर्ष-111)	राष्ट्रीय राइफल्स (लघु शीर्ष-112)	असैनिकों के वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-104)	अन्य व्यय (लघु शीर्ष- 800)
2008-09	24,656.04	10,712.51	4,282.97	2,419.72	2,353.11	1,370.11
2009-10	36,896.23	9,404.65	4,608.34	3,047.58	3,132.27	1,380.31
2010-11	35,445.39	12,144.48	5,308.35	3,098.71	3,051.42	1,475.79
2011-12	39,996.27	12,442.20	5,708.68	3,585.38	3,361.21	1,644.18
2012-13	46,057.23	12,749.70	5,768.73	4,076.22	3,673.96	1,638.63

चार्ट-4 थलसेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- व्यय में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि : 2008-09 से 2012-13 के दौरान थलसेना और सहायक सेनाओं के वेतन एवं भत्ते, असैनिकों के वेतन एवं भत्ते और राष्ट्रीय राइफल्स से संबंधित व्यय के लघु शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 86.80 प्रतिशत, 56.13 प्रतिशत और 68.46 प्रतिशत के हिसाब 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

#### 1.13.2 आयुध निर्माणियां ( दत्तमत)


2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय, आयुध निर्माणियों के छह लघु शीर्षों (एम एच ) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका- 6 और चार्ट- 5 में दर्शाया गया है:

तालिका -6 आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भंडार लघु शीर्ष 110	निर्माण लघु शीर्ष 054	अन्य व्यय लघु शीर्ष 800	नवीनीकरण एवं आरक्षित निधि (आर एवं आर) लघु शीर्ष -797	नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन लघु शीर्ष -106	परिवहन लघु शीर्ष -105
2008-09	4,948.22	2,858.54	483.05	271.00	276.22	73.62
2009-10	5,965.16	3,566.03	506.74	280.00	228.24	86.59
2010-11	5,704.96	3,499.75	582.66	600.00	207.82	110.73
2011-12	6,101.41	4,415.33	649.75	325.00	310.25	115.98
2012-13	5,691.76	4,335.73	767.68	350.00	415.85	135.01

चार्ट -5 आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- 'परिवहन', 'अन्य व्यय', 'निर्माण', 'नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन', 'आर एवं आर निधि', तथा भंडारण लघु शीर्ष के अंतर्गत, व्यय में 2008-09 से 2012-13 अवधि के दौरान क्रमशः 83.39 प्रतिशत, 63.06 प्रतिशत, 51.68 प्रतिशत, 50.55 प्रतिशत, 29.15 प्रतिशत तथा 15.09 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

### 1.13.3 अनुसंधान एवं विकास ( दत्तमत)


2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय अनुसंधान एवं विकास के छः लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका-7 और चार्ट-6 में दर्शाया गया है:

तालिका -7 अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भंडार लघु शीर्ष-110	असैनिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष -102	आर एंड डी लघु शीर्ष-004	निर्माण कार्य लघु शीर्ष- 111	सेवा कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष -101	अन्य व्यय लघु शीर्ष- 800
2008-09	1,395.99	1,096.76	696.51	374.86	140.67	97.87
2009-10	1,453.76	1,525.66	562.81	411.80	220.34	101.31
2010-11	1,665.91	1,409.71	1,218.25	492.17	201.61	144.02
2011-12	1,774.18	1,534.88	983.91	543.20	198.23	167.55
2012-13	1,870.19	1,694.22	516.97	621.39	226.38	163.43

चार्ट -6 अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- लघु शीर्ष-'वर्क्स' तथा 'अन्य व्यय' में 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान व्यय में क्रमशः 65.76 प्रतिशत तथा 66.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गई है।
- “ अनुसंधान एवं विकास”: दूसरी ओर 2008-09 से 2012-13 की अवधि दौरान “ अनुसंधान एवं विकास पर 25.77 प्रतिशत की कमी को दर्शाया गया है। तथापि, 2012-13 के दौरान पिछले से 47.46 प्रतिशत की विशिष्टतम कमी हुई।

#### 1.14. पूंजीगत व्यय का विश्लेषण - मुख्य शीर्ष-4076 अनुदान संख्या-27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

##### 1.14.1 पूंजीगत व्यय के घटक

इस अनुदान के अंतर्गत आठ उप मुख्य शीर्ष है, उप मुख्य शीर्ष -01-थलसेना, उप मुख्य शीर्ष-02-नौसेना, उप मुख्य शीर्ष-03 वायु सेना, उप मुख्य शीर्ष-04- आयुध निर्माणियां, उप मुख्य शीर्ष 05-आर एंड डी , उप मुख्य शीर्ष-06 निरीक्षण संगठन, उप मुख्य शीर्ष-07- विशेष धातु एवं उत्तम मिश्रधातु परियोजनाएं तथा उप मुख्य शीर्ष -08 प्रौद्योगिकी विकास।

**1.14.2 थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एण्ड डी के पूंजीगत व्यय (दत्तमत) की प्रवृत्ति का विश्लेषण**

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी अर्थात् उप मुख्य शीर्ष-01, 04 और 05 के पूंजीगत व्यय का ब्यौरे नीचे तालिका -8 में दर्शाए गए है:

तालिका -8 कुल पूंजीगत व्यय (रक्षा सेवाएं) बनाम थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एण्ड डी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पूंजीगत व्यय	थलसेना का पूंजीगत व्यय	आयुध निर्माणियों का पूंजीगत व्यय	आर एण्ड डी का पूंजीगत व्यय
2008-09	40,894.97	10,611.02	352.13	3,857.11
2009-10	51,019.42	14,795.65	240.29	41,52.30
2010-11	62,011.53	15,787.86	453.58	4,961.11
2011-12	67,843.96	14,943.39	276.21	4,611.05
2012-13	70,483.32	14,757.11	349.07	4,642.24

- **रक्षा सेवाओं का कुल पूंजीगत व्यय:** 2008-09 से 2012-13 के दौरान रक्षा सेवाओं के कुल पूंजीगत व्यय में 72.35 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एण्ड डी के पूंजीगत व्यय में घटक-वार वृद्धि क्रमशः 39.09 प्रतिशत, 2.87 प्रतिशत और 20.36 प्रतिशत थी।
- **थलसेना का पूंजीगत व्यय:** रक्षा सेवाओं के कुल पूंजीगत व्यय के प्रति थलसेना के पूंजीगत व्यय घटक में 2008-09 में 25.95 प्रतिशत से 2012-13 में 20.94 प्रतिशत तक 5 प्रतिशत की कमी हुई। 2012-13 के दौरान रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में 3.89 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद थल सेना के पूंजीगत व्यय में पूर्व के वर्ष की तुलना में 1.25 प्रतिशत की कमी हुई है।
- **आयुध निर्माणी का पूंजीगत व्यय:** 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान आयुध निर्माणी के पूंजीगत व्यय में कुल पूंजीगत व्यय के एक घटक के रूप में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। यह 2008-09 में कुल पूंजीगत व्यय के 0.86 प्रतिशत से 2012-13 में 0.50 प्रतिशत तक कमी आई। पूर्व के वर्ष की तुलना में आयुध निर्माणी के पूंजीगत व्यय में 2012-13 में 26.38 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिखाई दी।
- **आर एण्ड डी का पूंजीगत व्यय:** कुल पूंजीगत व्यय तुलना में, आर एंड डी के पूंजीगत व्यय में लगभग 3 प्रतिशत अर्थात् 9.43 प्रतिशत (2008-09) से 6.59 प्रतिशत (2012-13) की कमी दिखाई दी। पूर्व के वर्ष की तुलना में आर एण्ड डी का पूंजीगत व्यय 0.68 प्रतिशत बढ़ा है।

**1.14.3 पूंजीगत व्यय (दत्तमत) में बचत/ आधिक्य की प्रवृत्ति**

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में 'बचत' और 'आधिक्य' की प्रवृत्ति नीचे तालिका-9 में दर्शायी गई है:

<sup>7</sup> एस एम एच -02 तथा एस एम एच -03 को संघ सरकार (रक्षा सेवाएं), वायुसेना तथा नौसेना की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अलग से विश्लेषित किया गया है। एस एम एच-06 तथा एसएमएच -08 के संबंध में 2008-09 से 2012-13 के दौरान कुल व्यय क्रमशः 71.76 करोड़ तथा 111.05 करोड़ था। एस एम एच-07 के संबंध में इन वर्षों के दौरान व्यय शून्य था।

तालिका -9 पूंजीगत व्यय में बचत/ आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल अनुदान (दत्तमत)	कुल व्यय	कुल पूंजीगत अनुदान के अधीन	
			बचत( - )	आधिक्य(+ )
2008-09	47,976.10	40,894.98	7,081.12 (14.76%)	-
2009-10	54,779.62	51,019.42	3,760.20 (6.86%)	-
2010-11	60,776.21	62,011.52	-	1,235.31 (2.03 %)
2011-12	69,148.01	67,843.96	1,304.04 (1.89%)	-
2012-13	79,526.99	70,483.32	9,043.67 (11.37%)	

**टिप्पणी:** कोष्ठकों में दिया हुआ अंक बचत (-)/ आधिक्य (+) को कुल अनुदान (दत्तमत) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।

- उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान वर्ष 2010-11 को छोड़कर लगातार 'बचत' हुई थी, जबकि 2.03 प्रतिशत का 'आधिक्य' था। इस अवधि के दौरान 'बचत' 14.76 प्रतिशत और 1.89 प्रतिशत के बीच रही है।
- वर्ष 2011-12 के दौरान हुई ₹ 1,304 करोड़ (1.89 प्रतिशत) से वर्ष 2012-13 में ₹ 9,043.67 करोड़ (11.37 प्रतिशत) की बचत में वृद्धि देखी गई। तथापि बचत वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतिम कार्य दिवस में समर्पण की गयी ₹ 9,990.79 करोड़ (4.17 प्रतिशत) की राशि की निधि जो कि बचत से ज्यादा थी।